न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 185/2022

अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. धर्मपाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
3. मोनिका पुत्री बलवीर जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
4. शारदा पत्नि बलवीर जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी स0 13

निर्णय दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 कि रोही मौजा चक 12 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 30/27 के प.न. 365/404 मु.न. 57 को किला नं. 16 की 0.2530 हैक्टर, 25 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 365/405 मुन. 59 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर, 5/2 की 0.0250 हैक्टर, प.न. 366/404 मु न. 56 के किला नं. 19/2 की 0.126 हैक्टर, 20/2 की 0.127 हैक्टर 21 की 0. 2530 हैक्टर, 22 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 366/405 मु.न. 60 के किला नं. 1/1 की 0.2270 हैक्टर, 1/2 की 0.0260 हैक्टर, 2/1 की 0.2280 हैक्टर, 2/2 की 0.0250 हैक्टर, 3/1 की 0. 2280 हैक्टर, 3/2 की 0.0250 हैक्टर, कुल तादादी 2.277 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा भूमि है एवं रोही मौजा चक 3 आर.एमएस, तहसील नोहर के खाता सं. 15/14 के प.न. 356/414 मु.न. 29 के किला नं. 4/1 की 0.2280 हैक्टर 4/2 की 0.0250 हैक्टर 5/1 की 0203 हैक्टर, 5/2 की 0.0250 हैक्टर 6/1 की 0.2280 हैक्टर, 6/2 की 0.0250 हैक्टर 7 की 0.2530 हैक्टर 14/1 की 0.2280 हैक्टर 14/2 की 0.0250 हेक्टर, 15 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 357/414 मु.न. 28 के किला नं. 1/1 की 2280 हैक्टर, 1/2 की 0.0250 हैक्टर 9 की 0. 2530 हैक्टर 10 की 0.2530 हैक्टरस 11 की 0.2530 हैक्टर 12 की 0.2530 हैक्टर कुल तादादी 2.7580 हेक्टर भूमि है जिसमें बादी का 1/9 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि मुताबिक खाते की कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि को काश्त व सींव का हमेशा विवाद रहता है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी को उसके हिस्से की भूमि काश्त करने से रोकते रहते है। चूंकि वादी दोनो खातो में 1/9 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है वादी वादग्रस्त भूमि को मुताबिक हक व हिस्सा व मुताबिक किस्म भूमि का खाता व लगान अलग–अलग करवापाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 उसके चाचा ताऊ है जो कि वादी को आये दिन आवागमन व पानी लगाने के समय झगड़ा फसाद करते रहते है तथा हर बार भूमि बदले को लेकर विवाद करते रहते है। भूमि सयुक्त रूप से दर्ज रहने के कारण वादी अपने हक व हिस्से का सही

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपयोग व उपभोग नही कर पा रहा है इसलिए वादी मुताबिक हक व हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग–अलग करवापाने का अधिकारी है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए किस्म भूमि के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 12 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 30/27 की कुल 2.277 हैक्ट एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 15/14 की कुल 2.7580 हैक्टर भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य करवाये गये। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 12 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 30/27 की कुल 2.277 हैक्ट एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 15/14 की कुल 2.7580 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 शारदा पत्नी बलवीर, सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर, मोनिका पुत्री बलवीर बहिब जाति जाट सा0 राजपुरिया खातेदार– **12 जेएसएन** के प0न0 366/404 (56) के किला न0 21/2 की 0.021, 22/2 की 0.021, 366/405(60) के किला न0 1/1 की .227, 1/2 की 0.26, 2/1 की 0.228, 2/2 की 0.025, 3/1 की 0.228, 3/2 की 0.025 कुल 0.801 हैक्ट, नहरी– 0.725 हैक्ट, गै0मु0 खाला – 0.076 हैक्ट

3 आरएमएस के प0न0 356/414 (29) के किला न0 6/1/2 की .142, 6/2/2 की .016, 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.025, 357/414(28) के किला न0 11 ता 12 की 0.506 कुल 0.917 बारानी प्रथम 0.876 हैक्ट, रास्ता 0.041 हैक्ट

2 कुरड़ाराम, धर्मपाल पि0 शंकरराम बहिब जाति जाट सा0 राजपुरिया खातेदार रहन कुरड़ाराम हि0 पीएनबी परलीका मूर्त – 12 जेएसएन प0न0 365/404(57) के किला न0 16–25 की 0.506, 365/405(59) किला न0 5/1 की 0.228, 5/2 की 0.025,

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

366/404(56) के किला न0 19/2 की 0.126, 20/2 की 0.127, 21/1 की .232, 22/1 की .232 कुल 1.476 हैक्ट, नहरी– 1.451 हैक्ट, गै0मु0 रास्ता– 0.025 हैक्ट

3 कुरडाराम पुत्र शंकरराम जाति जाट सा0 राजपुरिया खातेदार रहन पीएनबी परलीका मूर्त – 3 आरएमएस के प0न0 356/414(29) के किला न0 4/1 की .228, 4/2 की .025, 5/1/1 की 0.118, 7 की 0.253, 14/1 की .228, 14/2 की .025 कुल 0.877 हैक्ट, बारानी प्रथम– 0.827 हैक्ट, रास्ता – 0.050

4 धर्मपाल पुत्र शंकरराम जाति जाट सा0 राजपरिया खातेदार – 3 आरएमएस के प0न0 356/414(29) के किला न0 5/1/2 की 0.085, 5/2 की 0.025, 6/1/1 की 0.086, 6/2/1 की 0.009, 357/414(27) किला न0 1/1 की .228, 1/2 की .025, 9–10 की 0.506 कुल 0.964, बारानी प्रथम– 0.905 हैक्ट, रास्ता– 0.059 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 185/2022

अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. धर्मपाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
3. मोनिका पुत्री बलवीर जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
4. शारदा पत्नि बलवीर जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 185 सन 2022 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 12 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 30/27 की कुल 2.277 हैक्ट एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 15/14 की कुल 2.7580 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 शारदा पत्नी बलवीर, सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर, मोनिका पुत्री बलवीर बहिब जाति जाट सा0 राजपुरिया खातेदार– **12 जेएसएन** के प0न0 366/404 (56) के किला न0 21/2 की 0.021, 22/2 की 0.021, 366/405(60) के किला न0 1/1 की .227, 1/2 की 0.26, 2/1 की 0. 228, 2/2 की 0.025, 3/1 की 0.228, 3/2 की 0.025 कुल 0.801 हैक्ट, नहरी– 0.725 हैक्ट, गै0मु0 खाला – 0.076 हैक्ट
3 आरएमएस के प0न0 356/414 (29) के किला न0 6/1/2 की .142, 6/2/2 की .016, 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.025, 357/414(28) के किला न0 11 ता 12 की 0.506 कुल 0. 917 बारानी प्रथम 0.876 हैक्ट, रास्ता 0.041 हैक्ट

2 कुरड़ाराम, धर्मपाल पि0 शंकरराम बहिब जाति जाट सा0 राजपुरिया खातेदार रहन कुरड़ाराम हि0 पीएनबी परलीका मूर्त – 12 जेएसएन प0न0 365/404(57) के किला न0 16–25 की 0. 506, 365/405(59) किला न0 5/1 की 0.228, 5/2 की 0.025, 366/404(56) के किला न0 19/2 की 0.126, 20/2 की 0.127, 21/1 की .232, 22/1 की .232 कुल 1.476 हैक्ट, नहरी– 1.451 हैक्ट, गै0मु0 रास्ता– 0.025 हैक्ट

3 कुरडाराम पुत्र शंकरराम जाति जाट सा0 राजपुरिया खातेदार रहन पीएनबी परलीका मूर्त – 3 आरएमएस के प0न0 356/414(29) के किला न0 4/1 की .228, 4/2 की .025, 5/1/1 की 0.118, 7 की 0.253, 14/1 की .228, 14/2 की .025 कुल 0.877 हैक्ट, बारानी प्रथम– 0. 827 हैक्ट, रास्ता – 0.050

4 धर्मपाल पुत्र शंकरराम जाति जाट सा0 राजपरिया खातेदार – 3 आरएमएस के प0न0 356/414(29) के किला न0 5/1/2 की 0.085, 5/2 की 0.025, 6/1/1 की 0.086, 6/2/1 की 0.009, 357/414(27) किला न0 1/1 की .228, 1/2 की .025, 9–10 की 0. 506 कुल 0.964, बारानी प्रथम– 0.905 हैक्ट, रास्ता– 0.059 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर